POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 03.08.2025

1. थाना सेक्टर-24 पुलिस व वाहन चोर बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में--

विवरण-- दिनांक **03.08.2025** की रात्रि में **थाना सेक्टर-24 पुलिस** द्वारा पिलर नं0-94 के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी एनटीपीसी की तरफ से एक ट्रेक्टर पर सवार 02 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, ट्रेक्टर सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम को चेकिंग करता देख ट्रेक्टर को अचानक से मोड़कर सर्विस रोड़ पर भगाने लगे। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा कर ट्रेक्टर को रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रेक्टर सवार व्यक्तियों द्वारा अपना ट्रेक्टर सेक्टर-54 के जंगल की तरफ छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे व अपने आपको पुलिस टीम से घिरता देख बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जिसकी पहचान वीरेन्द्र कश्यप उर्फ बिंदु पुत्र गोकरन निवासी ग्राम भदारी, थाना बिशनपुर, पीलीभीत वर्तमान पता त्रिलोकपुरी, दिल्ली, उम्र करीब 34 वर्ष के रूप में हुई है। घायल अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है। ट्रेक्टर सवार दूसरे बदमाश को पुलिस टीम द्वारा कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान जसवंत सिंह पुत्र गुलजार सिंह निवासी ग्राम धुलिया, थाना निगोही, शाहजहाँपुर, उम्र करीब 55 वर्ष के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का एक ट्रेक्टर आयशर कम्पनी रजि0नं0- UP16CL7875 मय ट्रॉली के बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण--

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त वीरेन्द्र कश्यप उर्फ बिंदु नशे का आदी है व वर्ष 2016 में चोरी के अभियोग में जेल जा चुका था, जेल में रहकर अन्य अपराधियों के सम्पर्क में आकर चोरी के नए-नए तरीके सीखने लगा। अभियुक्त जसवंत सिंह भी नशे का आदी है, व अभियुक्त वीरेन्द्र कश्यप के सम्पर्क में आकर चोरी करने लगा। अभियुक्तों द्वारा नोएडा, दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में घूम फिरकर पार्किंग व सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों की रैकी कर लॉक खोल कर चोरी कर ले जाते थे तथा साथ ही बंद पड़े घरो में ताला लगा देखकर रैकी कर घरों से कीमती सामान चोरी कर लेते थे। अभियुक्तों से बरामद ट्रेक्टर के बारे में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों अभियुक्तों ने मिलकर मोदी मॉल के पीछे से चोरी किया था, जिसे ये बेचने के लिए ले जा रहे थे।

(1) अभियुक्त वीरेन्द्र कश्यप उर्फ बिंदु पुत्र गोकरन का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0- 0482/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 1102/2016 धारा 380/411 भादवि, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

3. मु0अ0सं0- 1213/2016 धारा 379/411 भादवि, थाना पोवायन, जनपद शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0- 0340/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना पोवायन, जनपद शाहजहाँपुर।
5. मु0अ0सं0- 0522/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पोवायन, जनपद शाहजहाँपुर।
6. मु0अ0सं0- 0491/2020 धारा 379/411 भादवि, थाना पोवायन, जनपद शाहजहाँपुर।
7. मु0अ0सं0- 1441/2016 धारा 137/179 रेलवे एक्ट, थाना आरपीएफ सिटी, जनपद बरेली।
8. मु0अ0सं0- 0198/2022 धारा 379/411 भादवि, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

(2) अभियुक्त जसवंत सिंह पुत्र गुलजार सिंह का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0- 0614/2022 धारा 60(1) आबकारी एक्ट, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत ।
2. मु0अ0सं0- 0671/2023 धारा 33 भारतीय वन अधिनियम, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर ।